तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुये।
	झारखण्ड बनाम [illegible]	
[illegible]/20	पत्रावली पेश हुई।पीठासीन अधिकारी दौरे पर है।गत आदेश की पालना में दिनांक 2/12/20 को पेश हो। रीडर	
2/12/20	पत्रावली पेश हुई।पीठासीन अधिकारी दौरे पर है।गत आदेश की पालना में दिनांक 16/12/20 को पेश हो। रीडर	
16/12/20	पत्रावली पेश हुई।पीठासीन अधिकारी दौरे पर है।गत आदेश की पालना में दिनांक 28/12/20 को पेश हो। रीडर	
28/12/20	पत्रावली पेश हुई।पीठासीन अधिकारी दौरे पर है।गत आदेश की पालना में दिनांक 5/01/21 को पेश हो। रीडर	
5/01/21	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर है। गत आदेश की पालना में दिनांक 18/01/21 को पेश हो। रीडर	
18/1/21	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दौरे पर है। गत आदेश की पालना में दिनांक 22/3/21 को पेश हो। रीडर	
22/3/21	पत्रावली पेश हुई। नकीब प्रार्थी उपस्थित नकीब प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन करने पर अभिलेख से स्पष्ट है कि मुकदमा के दौरान प्रार्थी की मृत्यु हो चुकी है अतः प्रस्तुत पत्रावली का आदेश पारित	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म को जा
	लाडूराम बनाम बाबूराम सरकार	

अवलोकन कि मनन किया पत्रावली प्रार्थिगण प्रार्थना पत्र पेश है। वाद पत्र अनुसार इन्तकाल के बाबतशुदा आराजी किता 1 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, किता 2 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 24 बीघा का निस्तारण पत्रावली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी 2007-08 से 2016 में हिस्सा 1/2 में प्रार्थी का नाम लाडूराम सहित के बोहड़िया पुत्र मुकन्दा दर्ज होना पाया है जिसके कारण लाडूराम पुत्र मुकन्दा शुद्ध किया गया।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं मनन किया तथा ही तहसीलदार रामगढ़ से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया तहसीलदार महोदय द्वारा अपने जवाब में बताया है कि राजस्व रिकार्ड में मृतक पत्रावली के खिलाफ कुछ नहीं मिला है किसी प्रकार की सिविल कुछ नहीं मिली है अतः प्रार्थी का प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली के अनुसार ठीक नकल हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा जिला दौसा (राज.)